न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 16/21 सन् 2021

RCMS NO-2021/ 303

बउनवानी:—1. श्रीमति श्यामा पुत्री स्व0 केसरा पत्नि रामसिंह माली नि0 लहसोडा हाल गण्डावर तह0 खण्डार
2. श्रीमति प्रेम देवी पुत्री स्व. केसरा पत्नि रामदयाल माली नि0 लहसोडा हाल अक्षयगढ तह0 खण्डार
3. श्रीमति विमला उर्फ बल्ला पुत्री स्व. केसरा पत्नि प्रभूलाल माली नि0 लहसोडा हाल बनवाडा तहसील श्योपुर मध्यप्रदेश
4. श्रीमति इन्द्रा पुत्री स्व. केसरा पत्नि शंकरलाल माली नि0 लहसोडा हाल बनवाडा तहसील श्योपुर मध्यप्रदेश

बनाम

1. हंसा पुत्र स्व0किस्तूरा माली निवासी ग्राम लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
2. श्रीमति तुलसा देवी पत्नि बनवारी लाल माली निवासी छाण तहसील खण्डार
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
4. ग्राम पंचायत लहसोडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लहसोडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1669 दिनांक 22.10.2021 वाके ग्राम लहसोडा तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्टगण
2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 30.4.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1669 दिनांक 22.10.2021 वाके ग्राम लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि यह नामा0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.6.2020 के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 तुलसा देवी पत्नि बदरी लाल माली निवासी छाण के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 हंसा पुत्र किस्तूरा माली निवासी लहसोडा के पक्ष मे खोला व तस्दीक किया गया है जबकि रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 16.6.2020 को निरस्त किये जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा अन्य के विरूद्व दिनांक 11.8.2020 को ही न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे वाद पत्र उनवानी श्रीमति श्यामा बनाम हंसा वगै. प्रस्तुत किया था जो कि वहाँ मुन्तकिल होकर अब माननीय अति0 सिविल न्यायाधीश, सवाईमाधेपुर में मय टी.आई. प्रार्थना पत्र के चल रहा है जिसमे दिनांक 25.8.2020 को ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा अन्य जरिये अधिवक्ता श्री भवंर सिंह जादौन उपस्थित हो गये थे तथा इसमे लेण्ड होल्डर तहसीलदार एवं आई.एल.आर. एवं हल्का पटवारी ग्राम लहसोडा बतौर अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 13 पक्षकार है जिनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता महोदय ने अपनी उपस्थिति दी थी। इस प्रकार विवादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को लेकर वाद पत्र विचाराधीन होते हुए भी समस्त पक्षो को इसकी जानकारी होते हुए भी रेस्पो0 संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिली भगत कर यह नामा0 भरवा लिया तथा आई.एल.आर. ने इसका अंकन सही होने की तुलना कर दी तथा तहसीलदार ने इसे स्वीकृत कर दिया जो कानूनन कतई गलत है। विवादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि कुल किता 15 कुल रकबा 2.13 है0 का जो नामा0 भरा गया है वह भूमि हमारे पितामह भूरया पुत्र भैरू माली निवासी लहसोडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी तथा भूरया की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उसके तीनो पुत्र क्रमश केसरा,किस्तूरा एवं रामनारायण के नाम विरासत के आधार दर्ज हुई है। केसरा हम अपीलान्ट के पिता थे जिनका 6 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है रेस्पो0 संख्या

.....(1).....

(सुनील चौधरी)
जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

2 तुलसा देवी द्वारा गलत व नाजायज रूप से बिना किसी हक व अधिकार के विवादित आराजीयात मे1/3 भाग के दो विक्रय पत्र दिनांक 25.5.2006 एवं 4.8.2006 को अपने पक्ष में करवा कर खातेदारी केसरा के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया था जिसकी हम अपीलान्टस को कतई जानकारी नही होने दी। उक्त दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने हेतु 2 दावे मय टी.आई.प्रार्थना पत्र अपीलान्टस ने आज से करीब डेढ वर्ष पूर्व ही माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय सवाई माधोपुर के न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व अन्य के विरूद्व पेश कर दिये थे जिनमे भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 हाजिर हो चुके है तथा उसी प्रकार पटवारी व आई.एल.आर. एवं तहसीलदार भी बतौर पक्षकार प्रतिवादी थे। तुलसा देवी द्वारा उक्त दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पर से उक्त आराजीयात को अपने नाम करवाकर रेस्पो. संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दिया। आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात कुल किता 15 कुल रकबा 2.13 है0 अपीलान्ट के पितामह के कब्जे काश्त व खातेदारी की होने से अपीलान्टस को अपने पिता केसरा के साथ 1/3 भाग मे हिन्दू विधि के तहत बराबर का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त होने से हम अपीलान्ट की सहमति के बिना अपीलान्टस के हक को इस प्रकार केसरा द्वारा तुलसा देवी को एवं तुलसा देवी द्वारा हंसा माली के पक्ष मे विक्रय पत्र पंजीयन करवाने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। विवादित भूमि के 1/3 भाग पर अपीलान्ट अपने पिता केसरा के समय से आज दिनांक काबिज काश्त रहे है। अपीलान्ट महिलाऐ है तथा अपने ससुराल रहती है इसलिए अपने हिस्से की जमीन को काश्त करने हेतु रामस्वरूप माली को साजे बांटे पर बता रखा है। पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कब्जे की जॉच किये बिना, सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार होने के बावजूद भी मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील नामा0 भरकर तस्दीक करवाया है कानूनन गलत है। इसलिए भी आदेश जैर अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील तुलसा देवी द्वारा हंसा के पक्ष मे करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.6.2020 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। विक्रय पत्र दिनांक 16.6.2020 को निरस्त करवाने बाबत प्रस्तुत दीवानी वाद न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.स. 2 सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 27.2.2024 को खारिज किया जा चुका है। अर्थात वर्तमान में भी उक्त विक्रय पत्र प्रभाव मे है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि प्रथम तो आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1669 दिनांक 22.10.2021 वाके ग्राम लहसोडा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.6.2020 के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभाव मे है। उक्त विक्रय पत्र को खारिज करवाने बाबत सिविल न्यायाल में प्रकरण विचाराधीन था किन्तु टी.आई थी या नही थी यह नही बताया ओर यदि टी.आई के रहते हुए नामा0 दर्ज फैसल किया गया है तो अवमानना का प्रार्थना पत्र संबधित न्यायालय मे पेश किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण मे सक्षम न्यायालय से पक्षकारान को अपने अधिकार तय करवाना चाहिए क्योकि इस अपील के माध्यम से अपीलान्ट अपना अधिकार तय नही करवा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner